न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 19 / अपील / 2023 (GCMS No. 2023 / 65)	20.02.2023	23.12.2024

सुगना बाई पत्नी बिरधीलाल जाति मीणा,
निवासी ग्राम रघुनाथपुरा, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती बदाम बाई पत्नी बजरंगलाल मीणा निवासी रघुनाथपुरा
2. गबुरिया आ. मोतीलाल जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा
3. चेतराम आ. मालीराम जाति बलाई निवासी बुजीवाला, तह.नीमका थाना, जिला सीकर हाल निवास सिविल लाईन्स, अजमेर
4. शंकरलाल आ. मालीराम जाति बलाई निवासी बुजीवाला, तह.नीमका थाना, जिला सीकर हाल निवास सिविल लाईन्स, अजमेर
5. देवराज आ. छीतरलाल जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा (मृतक) जरिए कायम मुकामान –

5/1 प्रकाशबाई पत्नी देवराज जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा
5/2 रामचरण आ. देवराज जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा
5/3 अजय आ. देवराज जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा
5/4 महेन्द्र आ. देवराज जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा

6. श्रीमती पार्वती बाई पुत्री छीतरलाल जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा
7. श्रीमती फूला बाई पुत्री छीतरलाल जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा
8. महावीर पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा निवासी रघुनाथपुरा
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलांट की ओर से श्री नन्दलाल योगी, एडवोकेट
रेस्पो.सं. 2 की ओर से श्री रामदत्त शर्मा, एडवोकेट
रेस्पो.सं.1,3,4,5/1 लगायत 5/4,6,7,8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
रेस्पो. सं. 9 की ओर से पेरोकार सरकार

जिला कलेक्टर; बून्दी

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार तालेडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2019 एवं नामान्तरकरण संख्या 771 दिनांक 04.10.2019 ग्राम रघुनाथपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 02.09.2019 के आधार पर तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 19/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2023/65 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. जरिये सम्मन आहूत किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। दौराने अपील रेस्पो.सं. 5 के फोत हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर उसके वारिसान को अपील में कायम मुकाम बनाया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 में दर्ज खाता संख्या पुराना 124 एवं नया 128 के खसरा सं. 324 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा सं. 450/263 रकबा 2 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा वाकेग्राम रघुनाथपुरा में स्थित कृषि भूमि अपीलांट के खाते एवं कब्जा काश्त में स्थित है। अपीलांट जाति से मीणा है, जो अनुसूचित जनजाति की महिला है। रेस्पो.सं. 9 तहसीलदार तालेडा द्वारा अपने आदेश क्रमांक भू.अ./2019/3357 दिनांक 02.09.2019 से अपीलांट का स्वतंत्र खाता रेस्पो.सं.1 लगायत 8 के अन्य खातों के साथ मर्ज करने का आदेश दिया गया, जबकि उक्त खातेदारान् में से कई अनुसूचित जाति के सदस्य है। तहसीलदार तालेडा द्वारा बिना किसी के आवेदन के स्वयं संज्ञान दिया कि रकबा कम है, तरमीम करना संभव नहीं है, इसलिए अन्य खातेदारान के साथ अपीलांट का खाता एकीकरण किया जावे। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति के खाते की भूमि को अवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति के खाते में मर्ज करके धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की खुली अवहेलना कर कानूनी भूल की है। अपीलांट की सुनवाई किये बिना उक्त आदेश देकर रेस्पो.सं.9 द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की भी खुली अवहेलना की है। अपीलांट को उसके स्वतंत्र खाते के मर्ज करने के बारे में प्रथम बार दिनांक 31.05.2022 को पता चला तो उसी दिन तहसीलदार तालेडा को खाता पृथक करने का आवेदन पत्र पेश कर दिया था, लेकिन दिनांक 27.01.2023 को तहसीलदार तालेडा द्वारा मना कर दिये जाने पर यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के साथ यहां पेश की गई है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर; बून्दी

अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि अपीलांट उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर दिनांक 04.10.2019 से सहखातेदार है, तो उक्त भूमि के संयुक्त खाते की अपीलांट को दिनांक 31.05.2022 तक जानकारी नहीं रही हो, यह विश्सनीय नहीं है। अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण की जानकारी होने पर नियमानुसार 30 दिवस की अवधि में अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये थी, जो निर्धारित समय में पेश नहीं की गई, अपितु विलम्ब से अपील पेश की गई है। अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से बिना मेरिट पर सुने मियाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात अभिभाषक रेस्पो.सं. 2 द्वारा अपील की मेरिट पर तर्क प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया गया कि अपीलांट यदि उक्त खसरा नम्बर में से अपनी पृथक खातेदारी दर्ज करवाना चाहती है एवं पृथक तरमीम अंकित करवाना चाहती है तो उक्त कार्यवाही यहां चलने योग्य नहीं है। इस हेतु अपीलांट को सक्षम स्तर पर कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे में अपील अपीलांट यहां चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2019 की जानकारी दिनांक 31.05.2022 को होना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र में अंकित किया है। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मेरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किये जाने पर प्रकट है कि पटवारी हल्का जमीतपुरा द्वारा दिनांक 02.09.2019 को तहसीलदार तालेडा को DILRMP योजनान्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम रघुनाथपुरा के इन खसरा नम्बरान का रकबा कम है एवं दो खातेदारान का मौके पर कब्जा नहीं है, जिसके कारण उक्त खसरा नम्बर में तरमीम किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए खातेदारान को एकीकरण करने हेतु प्रस्ताव पेश है। जिस पर तहसीलदार तालेडा द्वारा लेण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 68 के तहत मुताबिक प्रस्ताव रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश भू.अ./2019/3357 दिनांक 02.09.2019 को दिया गया। इस संबंध में राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू (लेण्डरिकार्डस) रूल्स,1957 के नियम 68 का अवलोकन किया गया। नियम 68. खेतों का एकीकरण– जब एक से अधिक खेत जो एक ही खाता या पट्टी के हो और एक ही काश्तकार के काश्तकारी कब्जे में हो और भोगाधिकार (टेन्यूर) भी एक ही प्रकार का हो, उनकी अलग करने वाली

जिला कलेक्टर, बून्दी

सीमाओं को हटाकर उन्हें शामिल कर दिया जाए, तो इस प्रकार शामलाती खेतों के इन्द्राज होने वाले खेतों में से पहले खेत की संख्या के सामने इन्द्राज किए जायेंगे। प्रत्येक शामिल होने वाले खेत का रकबा कालम 2 में प्रथम संख्या के सामने बतलाया जायेगा और यह विशेष विवरण वाले कॉलम में प्रत्येक ऐसे शामिल होने वाले खेत के सामने इस विशेष विवरण के साथ इन्द्राज किया जायेगा कि उसको फलां नम्बर में संयुक्त कर लिया गया है। ऐसे खेतों के नम्बर भी अपने अपने रकबे के साथ प्रथम संख्या के सामने विशेष विवरण (रिमार्कस) के कालम में दिखाया जायेगा। दूसरी ओर,अगर कोई सेटलमेंट का खेत उसके बाद उप विभाजित होकर फिर से अपनी असली हालत (ओरिजनल शेप) में आ जाये, तब इन्द्राज इस तरह किया जायेगा मानो खेत विभाजित नहीं किया गया था। ऐसे खातों के बारे में जो अलग अलग पट्टियों या खातों के हो या अलग अलग किसानों के आधिपत्य में हो या एक ही किसान द्वारा विभिन्न काश्तकारी अधिकारों की श्रेणियों के तहत धारण किये हो, शामिल कर दिये जावें तो प्रत्येक ऐसी संख्या के लिए अलग इन्द्राज किये जाना चालू रखा जायेगा और विशेष विवरण वाले कॉलम में इस आशय की एक टिप्पणी दी जायेगी कि उनको एकखेत में शामिल कर लिया गया है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 771 दिनांक 04.10.2019 ग्राम रघुनाथपुरा में अंकित कृषि भूमियां एक काश्तकार के काश्तकारी कब्जे में नहीं है और भोगाधिकार (टेन्यूर) भी एक ही प्रकार का नहीं है, ऐसे में उनकी अलग करने वाली सीमाओं को हटाकर उन्हें शामिल कर दिया गया, जो विधिसम्मत नहीं है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के खातेदारान के खातों का एकीकरण कर दिये जाने से उनके संवैधानिक अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ा है तथा इससे धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 अनुसूचित जाति/जनजाति के हित एवं अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2019 पारित किये जाने में राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू (लेण्ड रिकार्डस) रूल्स,1957 के नियम 68 के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। ऐसे में अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये आदेश दिनांक 02.09.19 एवं नामान्तरकरण संख्या 771 दिनांक 04.10.19 ग्राम रघुनाथपुरा निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी